12.12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported deaths from consumption of spurious liquor in various parts of the country with particular reference to recent deaths in Kanpur and Farrukhabad districts of UP.

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY (Katwa) : I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon :-

> "Reported deaths due to consumption of spurious liquor in various parts of the country with particular reference to recent deaths in Kanpur and Farrukhabad districts of Uttar Pradesh and the action taken by the Government in regard thereto."

THE MINISTR OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : Sir, Government are greatly concerned about the incidence of death due to consumption of spurious liquor in the country and share the strong feelings of the Hon'ble Members of this august House in this regard.

2. According to the information furnished by the State Government, in village Tikhwa, Police Station Kannauj of District Farrukhabad on March 18, 1984 some persons died and some others were taken ill as a result of consuption of illicit liquor which had been bought from a shop on Kanpur-Kannauj highay (G.T. Road). In all 9 persons died and 26 were admitted for treatment in the hospitals at Kannauj and Kanpur. In addition 32 more persons were treated in the village itself by the Medical Officer of the Primary Health Centre A case under Sections 328/304 of the Indian Penal Code and under Sections 3/7 of the Essential Commodities Act has been registered against Ram Khelwan and Pappu who had sold the illicit liquor. The accused are absconding and efforts are being made to arrest them. The District Magistrate and the Senior Superintendent of Police visited the spot. The Excise Commissioner has also visited the site of the occurrence. The concerned Excise Inspector and the Supply Inspector have been placed under suspension. In addition, one Assistant Sub-Inspector of Police, one Head Constable and 10 Constables have also been suspended. A Megisterial Inquiry into the incident has been ordered.

3. According to the State Government no such incident has taken place in Kanpur district.

4. Excise regulations are enforced by the State Governments. State Governments have been advised to evolve short term and long term measures to tackle the problem of illicit liquor. The National Police Commission has made some recommendations for a more effective curb on offences connected with trafficking in liquor. These have been forwarded to the State Governments for their consideration.

5. Liquor addiction is a social evil and Government are educating the people about it through mass media. I make a fervent appeal to all voluntary and social welfare organisations to mobilise public opinion against this social evil.

12.14 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY : Mr. Deputy-Speaker, Sir, this Calling Attention motion is on such a matter about which we all feel ashamed and this is a very serious matter also. But the answer given by the Minister is not satifactory. It has not touched indeed the real causes of the problem. It was said that 'State Governments have been advised to evolve shortterm and long-term measures to tackle the problem of illicit liquor. The National Police Commission has made some recommendations for a

more effective curb on offences connected with trafficking in liquor. These have been forwarded to the State Governments for their consideration.'

The first part of it was advice given to the State Governments. But that has not been mentioned clearly. The point at issue, on what we are discussing now is, the trade of illicit liquor and that is not a very uncommon phenomenon in our country. It is on the increase day by day. We see people are dying by taking spurious liquor and a very casual statement has been made on this issue. Now we, in this House, want to know what concrete steps have been taken by the Government to check this type of occurrence.

I may draw your attention to an article that was published in the FREE PRESS JOURNA: of 9th May, 1982. It gives a vivid detail of how this type of incidents have been taking place in our country. It mentioned that in 1981 more than 400 deaths in various parts of the country including Bangalore and Delhi are believed to be caused by hooch. In Bangalore no fewer than 323 men and women young and old, lost their lives after consuming the poisonous liquor. In Delhi a series of daths in 1981 from liquor. poisoning alarmed the authorities. In December 1980 Haryana hooch tragedy took 80 lives. In 1979 there were many hooch tragedies. Major ones were in Hyderabad where more than 275 persons lost their lives, another in Lucknow where 30 persons died.

Every year a large number of people lose their lives in this tragedy. We also sometimes call the attention of the Government. The Government comes out with a casual statement which does not deal with the real issue. There are many instances in this regard. We are ashamed to say that no curb has deen put on it. Government has not been able to prevent the growth of of this type of liquor. That is a major concern of all of us. Because of this many deaths have been taking place.

I do not want to cite all those incidents that have taken place earlier. But our concern is that it that it is not decreasing, it on the increase. What is the effect of the action taken by the Government ? Why are the steps taken by the Government failing ? We have to go deep into this problem.

I am not advocating for prohibition. Prohibition is not the solution of the problem. Many countries tried to impose prohibition. Here also in many States efforts have been made to impose prohibition.

But we had seen that it was futile and it did not yield any result. On the other hand, it increased illegal activities and illicit distillation. Now, the Government may say that they have the accepted policy of total prohibition but the question is whether the policy of directions on prohibition only will solve the problem or not. We think. it will not.

Our point, is those who are dying in all these incidents are the poor people of this country—the industrial labourers and agricultural labourers. They are forced to take illicit liquor. Keeing aside the question of total prohibition, I would like to know whether in this country a large number of people would be allowed to die by taking this spurious liquor. We do not want to join issue on whether he should have the right to take liquor or not. That is another question. My point is, are we going to allow them to die by this illicit liquor or they are to be provided with the unadulterated liquor. We should not confuse these issues. We have seen that during our freedom struggle days, how our national sentiment had been connected with pickets and other kinds of programmes in front of the liquor shops and the poor people joined in large number to protest against the sale of liquor. Those were the days. Now, what do we see? No real educative or effctive movement is there to teach the people about the harm of drinking. Now, there may be no prohibition. We do not like that the working class, the agricultural labours and the poor people should go and take liquor. We do not like that. But we cannot force them not to take. Only effective educational measures can do that. They should be made conscious of these things and they should be educated against the evil of drinking. There may be bottles of liquour in front of them but they should not be tempted to go.

MR. DEPUTY SPEAKER : Good liquor is costlier than spurious liquor. That is why they do not go there. Spurious liquor is available at less cost than the good liquor. Therefore, you must ask the Governmet to reduce the price of good liquor.

SHRI M.M. LAWRENCE (Idukki) : Living itself is costlier so it is better to commit suicide !

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let the price of good liquor be brought down. Then the spurious liquor will have no market.

SHRI SAIFUDDIN CHOUDHURY : We have seen in certain factories) where there has been no Consciousness among the workers about their rights and all that, they used to go to liquors. Obviously, all these liquor shops are surrounding the factory area. Now, they used to go there. They have no option but to go there. While we have the experience that the workers join to fight for their rights, they may also give up the habit of taking liquor. This must be through consciousness. We do not want to impose certain things.

But, what is happeing is just the opposite. In Dhanbad area, the Supreme Court has to intervene to tell the Bihar Government, "You do not give licences to coal Mafias to establish liquor shops in Dhanbad area". Now, I have never heard that the Bihar Government is trying to establish schools in the Dhanbad area or the coal-mine area.

What are the directions of the Central Government in this regard ? I want a study or a survey to be made by the Government as to, where factories are situated, how many schools are there; how many adult eduction centres are there and how many liquor shops are there Only by prohibition and by taking all that type of measures you cannot effectively tackle the problem. There are so many shameful news items about hooch deaths which have appeared in various newspepers. I do not want to go into all that. How is it that such incidents are increasing ? How are you going to tackle this problem ?

There has been a recent incident at Farrukhabad where some people died during Holy celebrations. Which is the shop from where they took the liquor ? Was it a licensed shop ? If it was not a licensed shop how were they selling liquor ? What were the policemen doing ? We are told that some policemen have been suspended. That is a welcome thing. But sciething more concrete has to be done. In 1972, the Baweja Inquiry Committee also held responsible the police personnel and the officials of the Excise Derartment, They collude with the people who are in this illicit liquor trade. Later on, the Desai Committee also in 1981 indicted the police. Whenever there have been these incidents of liquor deaths we always hear that the policemen who are in charge of checking all there things are connected with them. There are allegations like that. There is a general feeling that the policemen who are to check all these things are not doing their duty properly.

Why is this degeneration is there in the police force also ? Where are the ethical values or cultural or social values ? Something has to be done about it. There are many things which can be quoted from the Constitution. There are the Directive Principles enshrined in the Constituion. There is article 39 which says that the State has to take proper care for the nourishment of the people, for the health of the people. This is not being followed up.

I want to know, since 1980, when this Government has come to manage the affairs of the country, whether this type of incidents are increasing or decreasing and How many people have died in all these incidents. I also want to know whether the liguor shops which were connected with all these tragedies were licensed or unlicensed. We are told that some policemen have been suspended and all that. But we want to know in how many cases, in concrete terms, what punishment has been given to the culprits. I want the hon. Home Minister to give usall this information.

I am not going to say much about making available good cheap liquor to the people in the absence of which they go in for spurious liquors. Nobody dies of taking

foreign liquor. It is only the poor people who die of taking spurious liquor. I want to know whether the Government is thinking in tems of appointing inspectors to carry out checks, or they should direct the State Government. They will check so that bad and spurious liquor is not sold. Other educational and cultural measures are also very important. You have also to take such other measures like suspension. You should not let them go scot free.

All those measures which you have mentioned in your report like the eductional campaign and rousing the consciousness of the people on the dangers of spurious liquor drinking are worthy to be undertaken by the Government.

But I would like to khow what concrete measures you are adopting to stop hooch tragedies.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA): Mr. Deputy Speaker, Several points have been raised by the Hon. Member regarding the Directive Principles of the Constitution The responsibility for fulfilling the Constitutional obligations rests with the Governments as prohibition of consumption of intoxicating alcoholic beverages is a Directive Principle of State Policy enshrined in the Constitution.

For the sake of uniformity; the Government of India in 1975 announced a 12 point programme for enforcement of prohibition and a Central Prohibition Committee comprising of the Ministers in charge of Prohibition in all the State Governments and in the Union Territories and non-official Members is set up by the Social Welfare Ministry from time to time to undertake periodical review of prohibition policy and progress of prohibition in different States.

As regards educating the people against the evils of drinking, the Government has taken many steps. There have been research studies also to educate the people for not taking illicit liquor.

With regard to educating the people on prohibition policy of the Government, "NAYA SAVERA" sponsored progaamme has also been started to educate the masses about the ill-effects of drinking and drug abuses.

The hon. Member knows it very well that the actual implementation of policies/ programmes for enforcement of prohibition rests with the State Governments. Therefore, the State Governments/Union Territories Administrations have been requested a number of times to ask educational authorities to take preventive measures to contain the consumption of drinks and drugs in the educational institutions and hostels and discourage students as well as others from using drugs and liquor.

The Hon. Member said that the number of deaths due to taking of illicit liquor is increasing throughout the country.

Especially with regard to the incidents that took place on 18th March, 1984 I may just inform the hon. Member that the number of deaths due to poisonous liquor in Delhi in 1981 was 23. But, in 1982 and in 1983 till today, there has not been any death due to illicit liquor in Delhi.

*(Interruptions)***

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : As has already been mentioned in the Calling Attention, I can very well say that preliminary enquiry shows that the poisonous liquor was sold by Ram Khelawan and Pappu to the villagers of Tikhwa, Lilapurwa and Sakari on the evening of 17th March, 1984. After taking this liquor, the villagers began getting sick and unconscious. Poisonous liquor was sold from a shop on Kanpur-Kannauj on GT Road which is 10 KM from Kannuaj by Ram Khelawan with the help of his brother Pappu alias Ram Lakhan. Ram Khelawan holds no licence to sell liquor. He is also selling diesel oil,

** Not recorded.

kerosene oil, petrol and cement unauthorisedly, without obtaining any licence. Investigations revealed that Ram Khelawan was apprehended by Excise Department on 16th March 1981 for being found in possession of illicit liquor. On 14th March, 1983 he was released by the Court of JM 7, Fategarh on the condition of maintaining good conduct for one year and on a personal bond of Rs. 1000/-. Unlicensed selling of diesel, petrol, etc. is punishable under Motor spirit, diesel, alcohol taxation act. It is also punishable under the Essential Commodities Act. As a result 9 persons died——should I give the names, Sir ? ...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Not necessary.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : The POST-MORTEM of the dead persons has been made and the viscera has been preserved.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Saifuddin Soz-not present.

Shri Hannan Mollah - also not here.

Shri Bheekhabhai.

श्री भीखा भाई (बांसवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया ने इस बात को नहीं बताया है कि इस देश के अन्दर नाजायज तौर पर जो शराब बन रही है, उसके आंकड़े उपलब्ध हैं या नहीं हैं ? दूसरा जैसा कि इन्होंने कहा है यह राज्य सरकारों का विषय है, मैं भी इसको मानता हूं। लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं, जिनको केन्द्र सरकार को भी ध्यान देना पड़ता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से राज्य हैं, जिन्होंने पहले प्रोहिबिशन को माना था और अब प्रोहिबिशन को खत्म कर दिया ? ऐसे कौन से राज्य हैं, जो प्रोहिबिशन को मानते हैं, फिर भी वहां पर इस प्रकार की शराब बिकती है ? इस प्रकार की शराब से गरीब आदमियों और मजदूरों की मृत्यु होती है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर पहले प्रोहिबिशन था, लेकिन अब स्क्रेप कर दिया है। केन्द्रीय सरकार की एक गाइड लाइन निकली है, जिसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी लोग पीने के लिए शराब बना सकते हैं और पी सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश से आने वाले गृह मंत्री जी जानते हैं थान्दल झाबूआ और मेघनगर इत्यादि जो कि मध्य प्रदेश में हैं और इससे लगे क्षेत्र जैसे कौशलगढ़, बांसवाड़ा और डुंगरपुर आदि जो राजस्थान के मध्य प्रदेश से लगे क्षेत्र हैं। इनमें एक जगह वह कानून लागू है और दूसरी जगह पर वह कानून लागू नहीं है। जिसका परिणाम यह होता है कि पुलिस वाले और एक्साइज वाले इस काम को कर रहे हैं। आप पीने वाले को नहीं रोक सकते हैं, मृत्यु को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन इसकी रोकथाम आप कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि इसको एजुकेशन के प्रोग्राम के तहत रोक दिया जाएगा, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। एजूकेटेड लोग जो शराब पीते हैं, वे फॉरन मेड शराब फारेन लिकर इण्डियन मेड होती है और बढ़िया से बढ़िया शराब पीते हैं, लेकिन बेचारे गरीब मजदूर और किसान आदिवासी जो ऊंचे रेट पर शराब नहीं खरीद सकते हैं, वे इस प्रकार की शराब को पीते हैं और मौत के शिकार बन जाते हैं। बागड़ी जी ने ठीक कहा है कि जिनके द्वारा स्पूरियस शराब बनाई जाती है, उनकी रोकथाम के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं ? मेरे से पूर्ववक्ता ने भी ठीक ही कहा है कि इसकी जांच की जानी चाहिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, केवल प्रोहिबिशन से ही काम नहीं चलेगा ? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर लीकर की कंजम्पशन बढ़ी है या नहीं है ? यदि बढ़ी है, तो उसके कारण कितनी मृत्यु हुई है ? इस वजह से कितने अधिकारियों को आपने निलम्बित किया है ? पुलिस वालों और एक्साइज वालों की मिली भगत से ही हर गाँव के अन्दर ठेके बने

हुए हैं। पुलिस को जानकारी होते हुए भी वह इसको रोकती नहीं है। चनाव आते हैं, एक आर्डर निकलता है कि शराब बन्दी कर दी जाएगी। लेकिन शराब स्टाक करके रख ली जाती है और बाद में वितरित होती है। यह दिल्ली में जो रोजमर्रा की घटना है। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। इसका सर्वे किया जाना चाहिए कि प्रोहिबिशन के बावजूद भी कितने लोग शराब पीने लग गए हैं? मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की शराब से केवल गरीब आदमी, आदिवासी, हरिजन और इन्डस्ट्रीयल और एग्रीकल्चर वर्कर ही लोग मरते है। नजायज तरीके से जो शराब बनाई जाती है वह बिना परमिट के बनाई जाती है। जिसमें कि लोग स्प्रीट आदि मिलाते हैं। इस ओर सरकार को गम्भीरता से विचार करके ध्यान देना चाहिए। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो आपने शराब पीने की छूट दे दी है, लेकिन राजस्थान को क्यों नहीं दी है?

आखिर में, मैं यह पूछना चाहता हूं कि शराबखोरी कितनी प्रतिशत बढ़ी है और एजूकेटेड पिपल में कितनी बढ़ी है और गरीब लोगों में कितनी प्रतिशत बढ़ी है? कौन-कौन सी स्टेट में प्रोहिबिशन होने के बावजूद भी पिछले पांच सालों के अन्दर कितने लोग मरे हैं? मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय के पास इस समय उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन मन्त्री महोदय यदि सख्ती के साथ कोशिश करें, तो सारे आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं? मन्त्री महोदया ने दिल्ली के बारे में बताया है लेकिन नाजायज शराब और स्फूरियस शराब दोनों में भेद करके आंकड़े जानना चाहता हूं? जो स्टेटमैंट माननीय मन्त्री महोदय ने पेश किया है। वह अधूरा है, उस स्टेटमेंट को पूरा किया जाना चाहिए और फिर एक बार इस मामले को सदन में लाना चाहिए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मन्त्री महोदय से जो प्रश्न पूछे हैं, उनका मैं मन्त्री महोदय से उत्तर चाहता हूं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा: उपाध्यक्ष-महोदय, जहां तक राजस्थान के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने पूछा है, मैं उन्हें बतलाना चाहती हूं कि राजस्थान में आदिवासियों के लिए दुकान खोलने की मनाही है परन्तु वे अपने लिए शराब बना सकते हैं।

प्रोहीबिशन पालिसी इन ट्राइबल एरियाज का जहां तक सवाल हैं; मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहती हूं :

The prohibition policy followed in relation to tribal areas has the fsllowing main features :

1. In the tribal areas where prohibition is in force no precipitate action need be taken;
2. The contract system of liquor, vending in tribal areas should be given up.
3. Where prohibition is not in force the tribal people should be allowed to prepare their beverages for individual and social purposes but not for commercial purposes.
4. Take steps for dis-continuance of vending of country liquor in the tribal areas wherever they still remain w e.f. 1.4.1979.
5. Intensify education efforts amongst tribals against the evil effect of drinking.
6. Encourage social workers and voluntary organisations in the task of education work for prohibition.

जहां तक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि लीकर से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके लिए उन्होंने 5 वर्ष का हिसाब हम से मांगा है, तो मैं उन को बताना चाहती हूं कि जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, 1979 में 3 मृत्यु हुई हैं और 1978 और 1980 में कोई मृत्यु नहीं हुई है। मैं उन को यह भी बतलाना चाहती हूं कि आन्ध्र प्रदेश में 1979 में 1 की मृत्यु हुई, बिहार में 1978 में 248, 1979 में 10 और 1980 में 8 की मृत्यु हुई, हरियाना में 1980 में 70 की मृत्यु हुई, गुजरात में एक भी डेथ नहीं हुई है, महाराष्ट्र में 1978 में 26 की मृत्यु हुई, 1979 में 31 और 1980 में 62 की मृत्यु हुई, राजस्थान में 1978 में 29 की मृत्यु हुई और 1979 में 1 की मृत्यु हुई।

दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैंने बतलाया था कि 1978 में 26, 1979 में 2 और 1980 में 14 की मृत्यु हुई और अन्य जो राज्य हैं और यूनियन टेरीटरीज हैं, उन में 1978 से 1980 तक कोई इस तरह की डेथ की सूचना नहीं है।

जहां तक स्टेप्स लेने का सवाल है, 315 के सम्बन्ध में मैं बताना चाहती हूं कि ये आम तौर से राज्यों ने निम्न स्टेप्स लिये हैं :

In pursuance of the letter dated 28th April, 1981 :

1. Liquor shops are inspected and samples of liquor are collected at random to check the purity of liquor.
2. Special squads have been formed to coduct surprise checks at places which are prone to manufacture etc. of illicit liquor.
3. Strict vigilance over the distribution of methyl alocohol in the form of de-natured spirit is kept so that it does not find way to illicit distillers.
4. Some States have taken steps to exercise greater Control over Checking of inter-State trade of illicit liquor in cooperation with neighbouring States.
5. Instructions have been issued to the field staff of both Excise and Police Departments to be vigilant.
6. Some States have Constituted prohibition councils.
7. Publicity of dangers due to Consumption of illicit liquor is carried on through mass-media.

मैंने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में बतलाया है कि यह एक स्टेट सब्जेक्ट है अब जहां तक डाइरेक्टिव प्रिंसपिल्स का सवाल है और जहां तक पालिसी और प्रोग्राम्स का सवाल है, हम स्टेट गवर्नमेंटस को लिखते रहते हैं कि उन्हें इन पर अमल करना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहती हूं कि खाली सरकारी कानूनों से और हमारी जोर जबर्दस्ती से यह सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। जब तक भारत के सामाजिक संस्थान और वालन्ट्री आर्गनाइजेशन्स और खास कर इस पक्ष और उस पक्ष के माननीय सदस्य इस में हमारा सहयोग नहीं करते हैं, तब तक तेजी से यह काम नहीं हो सकता है।

श्री भीखाभाई : अभी माननीय मंत्री जी ने यह बतलाया है कि उन्होने आदिवासी क्षेत्रों के लिए ये निर्देश दिये हैं कि आदिवासी स्वयं पीने के लिए शराब बना सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस की सूचना राजस्थान सरकार को दी है। राज्य सरकार को यह सूचना अगर दी गई है, तो उसने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस तरह की कोई सूचना नहीं दी है, ऐसी हमारी जानकारी है।

श्रीमती राजकुमारी सिन्हा : इन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसके संबंध में मैं बताना चाहती हूं कि इस

संदर्भ में ट्राइबल एरियाज के बारे में पहले ही निवेदन कर चुकी हूं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, यह बहुत ही गंभीर मामला है और सरकार इसको लगातार हल्के ढंग से ले रही है। अभी मंत्री महोदया ने कहा कि यह स्टेट का मामला है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में दिया हुआ है और हमारे सामने पंडित जी बैठे हुए हैं सबसे वयोवृद्ध जिन्होंने कानून बनाया था कि कांग्रेस का वही सदस्य होगा जो कम से कम शराब नहीं पिएगा। गांधी जी ने कहा था कि एक दिन भी हमको राज्य करने का मौका मिला तो मैं पहला काम करूंगा कि शराब को बंद करूंगा/शराब की ठेकेदारी को बंद करूंगा। यह बात उस गांधी ने कही थी और दूसरी गांधी क्या कर रही हैं।

मंत्री जी ने आंकड़े नहीं दिए हैं। न ही वे देंगे। मैं आंकड़े देता हू। मंत्री जी अगर इसको रेक्टीफाई कर दें तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

1947 में हमारी आबादी थी 35 करोड़ और वार्षिक आय थी 50 करोड़। अब जनसंख्या बढ़कर हो गई है 68 करोड़ और राजस्व है 1200 करोड़। शराब के ठेकों में वृद्धि हुई है 12 गुना और जनसंख्या में वृद्धि हुई है दोगुना। अगर यह बात गलत है तो मंत्री जी बताएं।

मंत्री जी ने कहा है कि यह राज्य सरकार का मामला है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां और बड़े बड़े ठेकेदार किनके बल बूते पर पल रहे हैं। उनका पैसा इलेक्शन में किसके लिए जाता है। उनसे पैसा लेकर इलेक्शन करवाया जाता है। उनको लोग पोलीटीशियंश के यहा, आफीसर्स के यहां घूमते हैं। उनकी बहुत बड़ी लाबी है। उनसे टकराना बहुत मुश्किल है। अगर मंत्री महोदय उनसे निपटने की कोशिश करें तो उलटा इनसे ही निपटा जाएगा। इनको हटाना पड़ेगा। इतनी बड़ी लाबी है।

मैं संविधान की धारा 47 के बारे में बताना चाहता हूं। नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसमें कहा गया है कि "राज्य अपने लोगों के पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक-स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्त्तव्य मानेगी और मादक पदार्थ और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के प्रयोग को निषिद्ध करने का प्रयास करेगी।" यह निषेध हो रहा है। अभी हमारे साथी भीखाभाई ने बताया कि जो राज्य बंद कर चुके थे, उनमें भी आपने फिर से शुरू कर दिया। जनता पार्टी का लक्ष्य था कि 1982 तक पूर्णत: शराब पर पाबंदी लगा दी जाएगी। सारे आर्डर रद्द कर दिए गए। क्या यह बात सही नहीं है। राजस्थान में कानून लागू हो गया था। उत्तरप्रदेश में भी शराब बंदी हो गई थी। लेकिन इन सब प्रतिबंधों को उठा लिया गया।

सब जगह साइन-बोर्ड पर लिखा रहता है कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन दूसरी तरफ रेडियो या टी. वी. आदि पर प्रचार किया जाता जाता है कि बिल्स की इतनी करामात है कि एक घूसे से सौ आदमी मर सकते हैं। उसी तरीके से शराब का भी प्रचार हो रहा हैं। आदमी, नशा नहीं खाता बल्कि नशा ही आदमी को खा लेता है। एक तरफ तो प्रचार करते है कि नशा नहीं करना चहिए और दूसरी तरफ राजस्व में वृद्धि करते जा रहे है। मैं, 28-29 तारीख को हजारीबाग गया हुआ था। ... (व्यवधान) उसकी जानकारी आपको देता है और चाहता हूं कि आप उसकी इक्वायरी कीजिए। वहां इतनी टेन्शन थी, लगता था कि गोली चल जायेगी।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : तारीख बताइए ।

श्री राम विलास पासवान : 28-29 जनवरी की बात है एक तरफ चर्च, मन्दिर, विद्यालय और घर तथा बीच में सरकार द्वारा शराब का कारखाना बनाया जा रहा है । पुलिस के सांठ गांठ से घर-घर में प्राइवेट भट्टियां अलग से चल रही है । एक रुपया राजस्व की आमदनी होती है लेकिन गरीब के पाकेट से पांच गुना पैसा निकल जाता है । मैं आपका आभार मानूंगा यदि आप बता सकें कि मंत्रिमण्डल में कितने लोग हैं जो शराब नहीं पीते है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : कोई नहीं पीता । आप आगे बोलिए ।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, she says nobody drinks. She is on record.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let us not make any personal remark.

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : Sir, the hon. Member should be requested to be in order.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will give you protection.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You may not reply to all those points which you consider not relevant-

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur) : It is not "which you consider not relevant" but she may reply, to all those points which are relevant."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Paswan, you can give a separate notice on those points. We can consider that. But now please come to the subject matter.

SHRI RAM VILAS PASWAN : You please tell me what question I should ask ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I have already told you that.

श्री राम विलास पासवान : पहले शराब पीना निदनीय माना जाता था । अब प्रतिष्टा का प्रश्न बन गया है ।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : कालिंग अटेंशनका सबजेक्ट क्या था ? लेकिन इसमें तो सारी दुनिया की बातें यहां आ रही हैं । ... (व्यवधान) ।

श्री राम विलास पासवान : मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रियों का नाम लेने से आपको बुरा लगता है । मेरे कहने का मतलब यह है कि आज शराब प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है । हम लोगों ने 1977 में कहा था कि जो फॉरेन डेलीग्रेट्स यहां आते हैं, उनको फाइव स्टार होटलों में शराब नहीं मिलेगी । मुझे मालूम नहीं कि अब यह चालू है या नहीं । मैंने कई बार कहा है कि इस देश में नेता की कमी नहीं ...

13.00 hrs.

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : एक ढूंढो हजार मिलते हैं ।

श्री राम विलास पासवान : नीति की भी कमी नहीं है । सब से बड़ी कमी नीयत की है । सरकार को चाहिये कि वह अपना मन इधर या उधर एक बार बना ले । या तो वह सीधे कह दे कि हम इंटरफीयर नहीं करेंगे या कहे कि हम शराब बन्दी लागू करेंगे । या तो कह दे कि राज्य सरकार जिस तरह से चाहे पैसा उपजायें, जिस किसी काम को करके पैसा मिल सकता हो, ले या कहे कि वह इफैक्टिव कदम इस दिशा में उठाएंगी । आपकी कुछ भी जिम्मेवारी है तो कम से कम लोगों को मारने का काम तो आप न करें । आपके पास

ज्यादा इंटैलीजेंस के लोग हैं, आई. बी. है, सी. बी. आई. है, सी.आई.डी. है और आपको ज्यादा मालूम है कि शराब वाले, शराब के ठेकेदार कितने पावरफुल होते हैं और कैसे उनसे निपटा जा सकता है। कम से कम सरकार यह घोषणा तो कर दे कि शराब के जो ठेके है या लाइसेंस हैं, आज की जनसंख्या में वे जितने हैं इससे आगे वे नहीं बढ़ेंगे बल्कि उनकी संख्या को वह कम करती चली जाएगी। आपको चाहिए कि संविधान की धारा 47 का आप आदर करें और आदर करते हुए आजादी के 36 साल के बाद ही सही लेकिन यह घोषणा करें कि सरकार शराबबन्दी के लिए कटिबद्ध है और नए लाइसेंस आगे से नहीं दिए जाएंगे। जहां आपका राज है वहां सबसे ज्यादा इस तरह की खराबियां चलती है। आप हमें फिगर बताएं कि आजादी के समय हमारे देश में कितनी शराब की दुकानें थीं या कितनी दूकानों के लाइसेंस दिए गए थे और आज उनकी संख्या कितनी है।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : माननीय सदस्य विषय से हटकर बातें करते रहे हैं। जहां तक पापुलेशन की बाढ़ का सवाल है, हम उस पर बराबर रोक लगाना चाहते हैं और हमने जरा रोक लगाई तो आप लोग कतरा गए और आप लोगों ने क्या क्या कहा, इसको आप जानें। यहां उसको कहने की जरूरत नहीं है।

जहां तक आय बढ़ाने का सवाल है यह सही है कि राज्य सरकारें अपनी आय बढ़ाने के लिए लाइसेंसों की संख्या बढ़ाती है और बढ़ा रही है और उसी अनुपात में उनकी आय भी बढ़ रही है।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : हम उन्हें लिख चुके हैं कि उनको आय का जो इससे घाटा होगा, उसका पचास प्रतिशत भुगतान करने के लिए हम तैयार हैं।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : हम और आप सब तय कर लें तो यह सब खत्म हो सकता है। आप भी छिप कर और इधर भी छिप कर करें तो यह नहीं चल सकता है।

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The whole point is that the seriousness of any discussion in the House is spoiled because of Shri Mani Ram Bagri. I am so sorry. He must behave better in the House.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : The seriousness discussion is being lost because of his acting against the rules. I am so sorry. You must put an end to that. That is my humble appeal. You are a very senior leader. I will have to tell the leader of your party also.

(Interruptions)

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : मैं एक पद्य कहना चाहती हूं :

हर एक यहां हैं अडिग अनल अपने पथ पर,
फिर तू ही क्यों भटका फिरता है इधर उधर।

मत बदल-बदल कर राह सफर तय कर अपना,
हर पथ मंजिल की दूरी नहीं घटाता है।
हर देहरी पर मत अपनी भक्ति चढ़ा पागल,
हर मन्दिर का भगवान न पूजा जाता है।
हर घट से प्यास बुझा मत ओ प्यासे,
प्याला बदले तो मधु ही विष बन जाता है।

श्री राम विलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जनता पार्टी

Not recorded.

के समय में शराब के ऊपर में पाबन्दी लगाई गई थी, उसको आपने फिर जारी किया है ? क्या यह सही है कि कुछ राज्यों ने पहले शराब बन्दी की थी जिसको बाद में शुरू कर दिया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : 1978 में जनता पार्टी के वक्त में जो गाइड लाइन्स इशू की गई थीं उसमें कोई तबदीली नहीं की है, बल्कि 1982 में आमतौर से उन्ही गाइडलाइन्स को फिर से दौबारा राज्य सरकारों को भेज दिया है। यह बात सही है कि महाराष्ट्र, मद्रास तथा कुछ अन्य राज्यों में पहले प्रोहिबीशन था, अब उसको उन्होंने रिलैक्स किया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Now Prof. Soz. As a special case, I am allowing you. You must be present in the House when your turn come. Now, you must only put questions-not make a speech. I have called you on this understanding

प्रो० सेफउद्दीन सोज (बारामूला): जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने जो शायरी की है वह हमारी समझ में नहीं आयी उन्होंने खुद ही बोली और खुद ही समझी, मुझे हिन्दी अच्छी तरह नहीं आती है। चूंकि वक्त कम है इसलिए दो पोइंट्स ही कहना चाहता हूं।

फर्रुखाबाद में या कानपुर में नाजायज तरीके से जो शराब बनायी गई या बनाई जा रही है, उससे मरने वालों की बात ही नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें केन्द्रीय सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि हमारे मुल्क में जो शराब है यह आम हो रही है, और मेरी इत्तला यह है कि दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में, क्लबों में, और होटलों में औरतों में भी शाना-त-शाना शराब चलती है। इंगलिस्तान में यह मामला बहुत ही; घिनौना बन गया है और उन्होंने रिसर्च की है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वहां की ताजा रिसर्च में बताया गया है, कि अगर औरतें पीना ही चाहेंगी, तो कब पियें। चूंकि यह जिम्मेदारी किसी भी हुकूमत की होती है कि वह लोगों की सेहत की हिफाजत करे, इसलिए इंगलैंड में यह फैसला किया गया कि ऐल्कोहाल तो खराब चीज है, लेकिन औरतें अगर पीयेंगी तो किस वक्त पीयेंगी। क्योंकि यह नेशन की जिम्मेदारी है और खसूरान वहां पर पाबन्दी लगाई गई कि प्रेगनेंसी में शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि इससे होने वाले बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। मैं तो नहीं कहूंगा कि आप बुलेटिन शाया करें, मगर एक दर्खास्त करूंगा क्या आप हैल्थ मिनिस्ट्री को बताएंगे कि वह मुल्क में सर्वे करे कि औरतों का कौन सा परसेन्टेज इस गलत बात से व्यवस्ता हो गया है।

दूसरी बात शराब की ही बात नहीं है, बल्कि बहुत सारी नारकोटिक्स दिल्ली में और बड़े शहरों में मिल रही हैं। इनमें ही रोइन बड़ी खतरनाक चीज है। मेरी जानकारी है कि पहाड़गंज में, प्रेम नगर में, लाजपतनगर और जामामस्जिद एरिया में यह खुले आम बिक रही हैं, सिर्फ आपको टैक्नीकल वर्ड बताना है। इस चीज के लिए दिल्ली की एक प्राइवेट संस्था ने सर्वे का काम शुरू किया है, मैं नहीं कहूंगा कि आप उसको एड दीजिए जिससे वह काम करे, लेकिन मैं मन्त्री जी से कहूंगा सरकारी शीतों में चस्पतालों में इस आवारागर्दी में मुब्तला लोगों को वापस लायें। मुझे पता है दिल्ली में डेढ़ लाख ड्रग ऐडिक्ट हो चुके हैं और उनको जिन्दगी की तरफ जाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है।

जहां तक गरीबों की बात है, उस पर मुझे जवाहरलाल जी की बात याद आ रही है।

"लैटर फ्राम ए फादर टू हिज डाटर", एक छोटी सी किताब में, जब इन्दिरा जी छोटी बच्ची थीं, तो उन्होंने पूरा इतिहास उनके सामने रख दिया था। उस समय एक जगह श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इस मुल्क में जो गरीब लोग उधार लेते हैं और बच्चों की शादी पर खर्च करते हैं, दरासल बात यह होती हैं कि उनकी जिन्दगी जो होती है, वह एक रेगिस्तान होती है और वे इसमें नखलिस्तान ढूढ़ते हैं।

That is obsolutely a desert and they want oasis.

वही बात उन गरीब लोगों के लिए है जो हुच पीते हैं। उनकी जिन्दगी एक रेगिस्तान है, वह दरख्तों का झुंड और नखलिस्तान चाहते हैं। दरासल बात यह है कि इस मुल्क की गरीबी दूर होनी चाहिए और पावर्टी लाइन से जो नीचे करोड़ों लोग हैं, उनको ऊपर उठाना चाहिए लेकिन जब तक वह उस लाइन तक आएंगे, वह कुत्तों की मौत मरते रहेंगे।

इसलिए होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वह हैल्थ मिनिस्ट्री के साथ सबूत कायम करके उन लोगों को जिन्दगी मामूली सहूलियतों के लेविल तक लाए।

پروفیسر سیف الدین سوز (بارہ مولا): جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب - ابھی منسٹری جی نے جو شاعری کی ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی - انہوں نے خود ہی لکھی اور جو دیکھی مجھے ہندی ابھی طرح نہیں آتی ہے - چونکہ وقت کم ہے اس لئے دو پوائنٹس ہی کہنا چاہتا ہوں -

فرخ آباد میں یا کانپور میں ناجائز طریقے سے جو شراب بنائی گئی یا بنائی جا رہی ہے اس سے مرنے والوں کی بات ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے - اس میں کیندریہ سرکار کے لئے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے ملک میں جو شراب ہے یہ عام ہو رہی ہے اور میری اطلاع یہ ہے کہ دلی اور بڑے بڑے شہروں میں کالجوں میں اور ہوٹلوں میں عورتوں میں بھی شانہ بہ شانہ شراب بکتی ہے - انگلستان میں یہ معاملہ بہت ہی گھناؤنا بن گیا ہے اور انہوں نے ریسرچ کی ہے - میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہاں کی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر عورتیں پینا ہی چاہیں گی تو کب پیئیں - چونکہ پارلیمنٹری طور کی بھی حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی صحت کی حفاظت کرے اس لئے انگلینڈ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ الکوحل تو خراب چیز ہے لیکن عورتیں اگر پیئیں گی تو کس وقت پیئیں گی - کیونکہ یہ نیشن کی ذمہ داری ہے اور خصوصاً عورتوں پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ پریگننسی میں شراب نہیں پینی چاہئے - کیونکہ اس سے ہونے والے بچے پر برا اثر پڑتا ہے - میں تو نہیں کہوں گا کہ آپ کمیشن قائم کریں مگر ایک درخواست کروں گا کہ آپ ہیلتھ منسٹری کو بتا دیجئے کہ وہ ملک میں سروے کرے کہ عورتوں کا کون سا طبقہ اس غلط بات سے وابستہ ہو گیا ہے۔

دوسری بات شراب کی ہی بات نہیں ہے بلکہ بہت ساری نارکوٹکس دلی میں اور بڑے شہروں میں مل رہی ہیں - ان میں ہیروئن بڑی خطرناک چیز ہے - میری جانکاری ہے کہ پہاڑ گنج میں پریم نگر میں اور جنیت نگر اور جامع مسجد ایریا میں یہ کھلے عام بک رہی ہے - صرف آپ کو ٹیکنیکل ورڈ بتانا ہے - اس چیز کے لئے دلی کی ایک پرائیویٹ سنستھا نے شروع کا کام شروع کیا ہے - میں نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو سرکاری سمجھا جائے میں ہسپتالوں میں اس آوارہ گردی میں مبتلا لوگوں کو واپس لائیں - مجھے پتہ ہے دلی میں ڈیڑھ لاکھ ڈرگ ایڈکٹ ہو چکے ہیں اور ان کو زندگی کی طرف جانا چاہئے - یہ ہماری ذمہ داری ہے -

جہاں تک غریبوں کی بات ہے اس پر مجھے جواہر لال نہرو کی بات یاد آ رہی ہے "لیٹر فرام اے فادر ٹو ہز ڈاٹر" ایک چھوٹی سی کتاب میں جب اندرا جی چھوٹی بچی تھیں تو انہوں نے پورا اتہاس ان کے سامنے رکھ دیا تھا - اس میں ایک جگہ شری جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ اس ملک میں جو غریب لوگ ادھار لیتے ہیں اور بچوں کی شادی پر خرچ کرتے ہیں دراصل بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک ریگستان ہوتی ہے اور وہ اس میں نخلستان ڈھونڈتے ہیں

That is obsolutely a desert and they want oasis.

وہی بات ان غریب لوگوں کے لئے ہے جو سوچ بیٹھے ہیں - ان کی زندگی ایک ریگستان ہے - وہ درختوں کا جھنڈ اور نخلستان چاہتے ہیں - دراصل بات یہ ہے کہ اس ملک کی غریبی ختم ہونی چاہئے اور پاورٹی لائن سے جو نیچے لوگ ہیں ان کو اوپر اٹھانا چاہئے - لیکن جب تک وہ اس لائن تک آئیں گے وہ کتوں کی موت مرتے رہیں گے -

اسلئے ہوم منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہیلتھ منسٹری کے ساتھ رابطہ قائم کرکے ان لوگوں کی زندگی کو معمولی سہولتوں کے لیول تک لائیں -

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक दिल्ली के होटलों का ताल्लुक है. जितने भी सरकारी होटल हैं, उनमें अभी भी पब्लिकली शराब पेश नहीं की जाती है, लेकिन जो फारेनर या कुछ लोग अपने कमरे में मंगाकर पीना चाहते हैं, उनको वहां पर पीने की इजाजत है ।

जहां तक माननीय सदस्य का सुझाव है कि हैल्थ मिनिस्ट्री के साथ बैठकर इस बात का सर्वे किया जाए कि इस मुल्क में कितनी परसेन्टज उन महिलाओं की है, जिनकी यह आदत है, मै जरूर हैल्थ मिनिस्ट्री के साथ दरख्वास्त करूंगा कि न केवल इसका सर्वे किया जाये बल्कि सारे लोगों की आम हालत को उठाने के लिए मैं प्लानिंग कमीशन से भी निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाए कि लोग पावर्टी लाइन से ऊपर आयें ।

———

13.12 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Need for construction of small dwelling units by HUDCO and other agencies for tribals in Dungarpur-Banswara district of Rajasthan.

SHRI BHEEKHABHAI (Banswara) : It is a matter of great satisfaction that the Government has in view the housing problems in rural areas, particulary for the down-troddens and the weakest of the society. Recetly some reports have come to the greatest satisfaction of all that the HUDCO in conjunction with other similar organisations and the State Government of Rajasthan have gone in for construction of such dwelling units in Alwar district.

Sir, my constituency of Dungarpur-Banswara in Rajasthan is prominently inhabited by the tribals who are economically very backward. Their social set ups also do not allow them to move from their own areas and therefore construction of houses in these areas hars to be undertaken immediately.

I would therefore urge the Union Government to immediately take up construction of small dwelling units in these tribal belts ifrst and instruct the HUDCO and other concerned agencies in this regard. Immediate attention along these lines could be given under 20-point programme also.

(ii) Need for taking steps for development of utensil-making industry in Mirzapur (U P.)

श्री उमाकांत मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन में निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहता हूं—

उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर शहर का बर्तन उद्योग वहां का एक पुराना गृह-उद्योग है । इस उद्योग से कई हजार लोगों की जीविका चलती है, किन्तु इधर इस उद्योग में अनेक कारणों से गिरावट आयी है । यहां के इस वर्तन उद्योग को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है । इस उद्योग में लगे हुए लोग करों तथा जाँचों से परेशान हैं । उद्योग को बचाने तथा बढ़ाने का एक ही उपाय है कि मिर्जापुर में निर्मित वर्तनों को मुरादाबाद के बर्तनों की तरह निर्यात की वस्तुओं में रखा जावे और इसे कर से मुक्त किया जाये । इसके साथ ही मिर्जापुर में वर्तन निर्माण की क्वालिटी के सुधार के लिए एक प्रावैधिक (टैक्नीकल) सलाहकार केन्द्र की स्थापना की जाये । आशा है केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री इस ओर अवश्य ध्यान देंगे ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Pratap Bhanu Sharma-not present. Shri Krishan Pratap Singh-not present I do not know why the hon. members remain absent after giving their names for 377 ? The chance for any other member from their own party as also being lost.